न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 55/2014/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 12.6.2014
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मदनलाल आत्मज भंवरलाल जाति तेली निवासी काला माल
2. रामप्यारी बेवा भूरा उर्फ भंवरलाल जाति तेजी निवासी कालामाल
3. बाली बेवा युवराज जाति तेली निवासी कालामाल
4. अनिल आत्मज युवराज जाति तेली नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती बाली बेवा युवराज
5. रिमझिम पुत्री युवराज ना.बा.जरिये संरक्षक माता श्रीमती बाली
6. अनिसा पुत्री युवराज ना.बा.जरिये संरक्षक माता श्रीमती बाली बेवा युवराज जाति तेली निवासी गाम कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।
7. नन्दकंवरी पुत्री रामकिशन पत्नी गोपाली तेली निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा–राज0।
8. गोगा बाई पुत्री रामकिशन पत्नी भेरू तेली निवासी ग्राम सरसया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
9. कैलाश बाई पुत्री रामकिशन पत्नी मोहनलाल तेली जाति तेली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा–राज0।
10. रामधणी पुत्री रामकिशन पत्नी कैलाश तेली निवासी ग्राम सरस्या तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा–राज0।

...अपीलाट्स

बनाम

1. रतनलाल आत्मज गोपीलाल जाति तेली निवासी ग्राम अधिन्धा
2. चौथमल आत्मज गोपील जाति तेली निवासी ग्राम अधिन्धा।
3. दुर्गाशंकर आत्मज गोपीलाल जाति तेली निवासी ग्राम अधिन्धा।
4. शुक्लाबाई पत्नी हरिशंकर जाति तेली निवासी ग्राम अधिन्धा।
5. मनोहर आत्मज हरिशंकर नाबालिग जरिये माता शुक्ला बाई विधवा हरिशंकर जाति तेली निवासी अधिन्धा (पोता गोपीलाल)
6. प्रेमशंकर आत्मज हरिशंकर जाति तेली नाबालिग जरिये सरक्षंक माता शुक्ला बाई बेवा हरिशंकर निवासी अधिन्धा जिला बूंदी।
7. लीलाबाई पुत्री गोपीलाल पत्नी इंश्रलाल तेली निवासी ग्राम भन्डेडा जिला बूंदी।
8. रामपूर्ति पुत्री गोपीलाल पत्नी रामराज तेली निवासी ग्राम दौलता तहसील देवली जिला टोंक–राज0।
9. मेना बाई पुत्री गोपीलाल पत्नी नन्दकिशोर जाति तेली निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।
10. ग्राम पंचायत पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलाट
श्री कैलाशचंद गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 लगायत 4,8,9

निर्णय

दिनांक 7.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 8/2014 अन्तर्गत धारा 135(2) एलआरएक्ट बउनवान मदनलाल वगेरा बनाम रतनलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 3.3.

2014 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम पेच की बावडी मे खाता सं0 82 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा ख0 नं0 11 रकबा 4 बिस्वा गैर0मु0चाह का नामान्तरकरण सं0 365 गोपी पिता लादूराम के व नामा0 सं0 367 भूरा पिता लादुराम के फौत होने उपरांत उनके वारिसान के नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत पेच की बावडी द्वारा दिनांक 20.1.2007 को निप्रित किये गये जिसके अनुसार भूरा के वारिसान मदनलाल वगेरा ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी के यहां दोनो नामा0 की एक ही अपील सं0 42/अपील/2008 पेश की गई जिसे दिनांक 22.7.2009 को स्वीकार कर नामा0 सं0 365 व 367 वाकै ग्राम पेच की बावडी निरस्त कर बंटवारे उच्च न्यायालय मे विचाराधीन अपील तथा स्थगन के संबध मे विस्तृत जांच कर साक्ष्य रेकार्ड पर लेते हुये उभयपक्ष की सुनवाई कर नियमो मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर गोपीलाल के वारिसान रतनलाल वगेरा ने अपील सं0 104/09 इस न्यायालय मे पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील को दिनांक 31.3.2011 को खारिज कर अति0 जिला कलक्टर बूंदी के निर्णय दिनांक 22.7.2009 को यथावत रखा गया। उक्त विवेचित निर्णय की पालना मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण मे गोपी व भूरा के वारिसान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर उभय पक्षकारान को अपनी भूमि के स्वामित्व व अधिकार बावत सक्षम कोर्ट मे वाद दायर कर उचित निर्णय प्राप्त करने का दिनांक 3.3.2014 को निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार हिण्डोली के उक्त विवेचित निर्णय दिनांक 3.3.2014 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि जेरअपील निर्णय कल्पनातीत व पत्रावली मे उपलब्ध तथ्य पूर्व पारित निर्णय अति0 जिला कलक्टर बूदी व न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के परे जाकर पारित किया है। तहसीलदार हिण्डोली ने अपने निर्णय मे वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा है पता नही किस आधार पर किस रिकार्ड से लेकर वर्णित करते हुये कल्पना का सहारा लेकर आदेश पारित करने मे कानूनी भूल की है। जबकि सही यह है कि उक्त वर्णित भूमि स्व0 लादू के बडे पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा के हिस्से मे आने व बटवारे मे प्राप्त होने के कारण उनके कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा स्वयं गोपीलाल ने लादू के जमाने मे ही विभाजन होना स्वीकार किया है और उसके हिस्से मे आयी कालामाल की 6 बीधा व 1 बीघा 18 बिस्वा, मकान जायदाद मेडी, ओवरा सबको 1984 मे अपने भतीले मदनलाल अपीलांट व रामकिशन को बेचार करना स्वीकार किया है। इस प्रकार उसका कालामाल व पेच की बावडी मे कोई हक व अधिकार नही बनता है जिसको परीक्षण न्यायालय ने नही मानते हुये कल्पना का सहारा लेकर रेस्पो0 का 1/2 हिस्से मे दर्ज नाम नही हटाकर आदेश को गोलमोल कर कानूनी भूल की है। तहसीलदार हिण्डोली ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्य जो कालामाल की कृषि भूमि से संबधित थे पर भी कोई गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 365 व 367 जिसमे रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा वर्णित कर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है को निरस्त किया जावे एंव सम्पूर्ण नामा0 की कृषि भूमि 4 बीघा 18 बिस्वा जो विभाजन मे अपीलांट के पिता भंवरलाल उर्फ भूरा को प्राप्त हुयी है के नाम खाते मे अंकित की जावे रेस्पो0 का नाम 1/2 हिस्से मे से हटाये जाने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि लादू के तीन पुत्र भंवरलाल व गोपी तथा रामस्वरूप थे रामस्वरूप का स्वर्गवास लादू के जीवनकाल मे ही हो गया था लादू ने जीवनकाल मे ही आपसी सहमति से विभाजन कर दिया। रामस्वरूप के कोई औलाद नही होने से उसका नाम रखने के लिये उसका हिस्सा अपने पास रख लिया जिसका बेचान लादू ने भंवरलाल के पुत्र मदनलाल को 1300/– रू0 मे दिनांक 6.12.76 को कर कब्जा संभला दिया जो विक्रय पत्र बही मे वर्णित है जिस पर गोपीलाल व भंवरलाल के व गवाहो के हस्ताक्षर है जिसको गोपीलाल ने 1996 मे जज साहब के यहां अपने बयानो मे विभाजन होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार गोपीलाल ने विभाजन मे आने पर अपना हिस्सा कालामाल की 6 बीघा जमीन व अन्य मदनलाल व रामकिशन को दिनांक 20.6.84 को 10200 रूपये मे बेचान करके कब्जा दे दिया यह बही का लेख गोपी के पुत्र रतनलाल ने लिखा और गवाहान करवाये जिसको गोपीलाल ने जज साहब के यहां बयानो मे स्वीकार किया तब से ही मदनलाल रामकिशन का गोपीलाल के हिस्से की खरीदशुदा भूमि पर और

मकानो पर कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार भंवरलाल का अपने जीवनकाल मे उसके हिस्से पर कब्जा रहा और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियो का कब्जा काश्त है। उक्त विभाजन का विवरण स्व0 लादू ने उनके द्वारा किये गये वसीयतनामे मे भी किया है। बहस मे आगे बताया कि गोपीलाल ने एक दावा 12/94 विभाजन संपत्ति का किया जो दिनांक 10.5.2004 को खारिज कर दिया गया जो अवलोकनीय है बयान मे बेचान भी मंजूर करता है जिरह मे आया है। ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 365 व 367 जिसमे रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा निरस्त करने का आदेश पारित करना चाहिये था। तहसीलदार हिण्डोली ने पत्रावली मे उपलब्ध उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। पारिवारिक बटवारे से रेस्पो0 को किसी प्रकार की आपत्ति है तो उसको रेगूलर वाद पेश कर तय करावे। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1978 पेज 239 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे प्रकट किया कि रिमांड प्रकरण है तहसीलदार हिण्डोली ने रिमांड आदेश की पालना मे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत का अवसर प्रदान कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, साक्ष्य आदि का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है। माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 के फेसले को माननीय उच्च न्यायालय मे चुनोती दी गई है जो पेन्डिग है अतः प्रकरण सबजुडिस है। इम्पाउण्ड किया है रजिस्ट्री नही है। 100/– से अधिक बेचान पर रजिस्ट्री अनिवार्य है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसक्ल प्रोसीडिंग है इसमे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1990 पेज 649 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये माननीय उच्च न्यायालय मे पेडिंग केस के निर्णय का इंतजार करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीरों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर विलम्ब का कारण अपील सहवन न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी के यहां दिनांक 3.3.2014 को पेश कर दिया जाना वर्णित करते हुये विलम्ब अवधि क्षम्य का अनुरोध किया प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के समर्थन मे अपीलार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 ने अपीलार्थी के कथन का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन/प्रतिउत्तर मे कोई आधार अभिलेख प्रस्तुत किये गये। अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि नामा0 सं0 365 व 367 मे से रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा निरस्त कर उसको खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद बटवारे को लेकर अपीलग्रस्त ग्राम पेच की बावडी की भूमि पर को लेकर है ऐसी स्थिति मे मात्र उत्तराधिकार के नामान्तरकरण का मामला नही होने तथा किसी भी सम्पत्ति का स्वामित्व व अधिकार घोषित करना परीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होना वर्णित करते हुये तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्णय दिनांक 3.3.2014 से अपीलांट एवं रेस्पो0 (दौनो पक्षो) को अपनी भूमि के स्वामित्व व अधिकार बावत सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर उचित निर्णय प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से हमारी राय मे प्रश्नगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचित किया गया उक्त अभिमत विधिसम्मत व न्यायोचित होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 3.3.2014 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा उक्त तथ्यों के आलोक मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वार प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रश्नगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा